

* महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं?

Q. no-1:

इसके आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें।

उत्तर:- महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को वो सारे उपकरण उपलब्ध करवाना जिनकी सहायता से "आखी दुनिया" जगती कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। आज जहाँ पूरी दुनिया में महिला सशक्तिकरण का दौर है और इस विषय पर सीमाएं हैं तो रहे हैं, कार्यशाखाएँ आयोजित की जा रही हैं और सरकार द्वारा विभिन्न नियम-कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन बात है हमारी सफलता की जो हम करें सशक्त हूँ तो जब हमको महिलाओं ने भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया तभी से महिलाएँ जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे आने लगीं। इसी दौरान पुराने-पुराने परम्पराओं का विरोध भी शुरू हो गया जैसे - बाल-विवाह, सती-प्रथा इत्यादि। जब महिलाएँ हर क्षेत्र में काम करने लगीं और सफलता प्राप्त लगी तभी महिलाओं के लिए कानून में व्यापक संशोधन किए गए ताकी महिलाएँ की सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही-हिन्दू अंतराधिकार अधिनियम

1950 के अनुसार -

माना-पिता की संपत्ति से पुत्रियों को पुत्रों के समान ही संपत्ति का अधिकार दिया गया था लेकिन जन समर्थन से समय लागू नहीं होने दिया गया था जो कि सन् 2005 में केन्द्र सरकार ने इसे 2005 में लागू कर दिया। साथ ही 1978 में बाल-विवाह अधिनियम (संशोधन) के द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई और बाल-विवाह को सख्त अपराध घोषित कर दी गई। इसके बाद भारतीय संसद ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता आदि में व्यापक संशोधन किए गए ताकि महिला शोषण के मामले रोक जा सकें।

जिस की हम जानते हैं

आर्थिक विकास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए जिनमें - ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार प्रशिक्षण, महिला एवं बाल-विकास कार्यक्रम आदि। सन् 1998 में केन्द्र सरकार द्वारा "स्वशक्ति" नामक योजना चलाई गई। इसका उद्देश्य था महिलाओं का आर्थिक शक्तिकरण। सन् 1992 में 73 संविधान संशोधन भारत की संसद द्वारा पारित किया गया जिसके आधार पर पंचायती संधाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। इससे महिलाओं को राजनैतिक

रूप से एक नई तकत भी मिली। जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत में महिला सशक्तिकरण आंदोलन एक नए दौर में गुजर रहा है जिसका उदाहरण 2004 में जब राष्ट्रपति भवन में आजादी के 60 सालों में पहली बार किसी महिला ने राष्ट्रपति के रूप में कदम रखा जिसका नाम था श्रीमती प्रियंका देवी सिंह पाटिल तो देश में महिला सशक्तिकरण का जोस भर गया। इसके बाद कई अन्य उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं जैसे - श्रीमती सोनिया गाँधी, कुमारी माथावती, नजमा हेपतल, श्रीमती शीला दीक्षित, विजया राजे सिंधिया आदि। यहाँ तक की कुल माथावती चौथी बार मुख्यमंत्री हैं जो कि एक दलित परिवार से सम्बन्धित इशारे के साथ आगे बढ़ रही हैं। यह महिला सशक्तिकरण का ही प्रभाव है कि कुल माथावती को अब देश की अती प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है।

इस प्रकार देखा तो महिलाओं के अंगीत कुछ अहमपूर्ण सशक्तिकरण इस प्रकार देखने को मिल रही हैं जैसे - पारिवारिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनितिक सशक्तिकरण, धार्मिक सशक्तिकरण, कार्य-विषय सशक्तिकरण, मानवीयिक एवं सांवेगिक सशक्तिकरण आदि

जिसकी हम अनुभव करते हैं की महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और महत्व प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है जैसे कि -

— लिंगीय भेदभाव की कमी हेतु —

समाज में लिंगीय भेदभाव कम सीमा पर है जिसके कारण अपराधों का जन्म हो रहा है जो कि घर और बाहर, सार्वजनिक स्थानों पर देखने को मिल रही है क्योंकि स्त्रियों को प्रारम्भ से ही पुरुषों के निर्भरण में रखा जाता है जिससे स्त्रियों में अपनी शक्तियों की पहचान नहीं हो पाती है और लिंगीय भेदभाव का जन्म होता है।

— सभ्य समाज हेतु —

महिलाओं का संश्लेषण उन्हें अधिक कार्यक्षम, कुशल तथा जवाबदार बनाता है और वे घर और बाहर की जिम्मेदारियों का निर्वहन सफलतापूर्वक करती हैं। जैसे कि संतानों का पोषण-पोषण स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानियाँ इत्यादि। जिससे लैंगिक द्वैतता का विकास होता है और सभ्य समाज का निर्माण होता है।

— व्यक्तिगत विकास से राष्ट्रीय विकास हेतु —

इसके अंतर्गत महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया जाता है जिसके द्वारा वे व्यावसायिक कौशल प्राप्त करती हैं और स्वावलम्बी बनकर व्यक्तिगत उन्नति के साथ-ही राष्ट्र की उन्नति में भी योगदान देती हैं।

सांस्कृतिक संरक्षण हेतु ->

सांस्कृतिक संरक्षण

में महिलायें अरबपनी धूमका का विविध कार्य करती हैं। एक तरह महिलायें सशक्त होती हैं वे अरबी परम्पराओं को अपने बानी पीढ़ियों के लिए विकसित कर इस्तेमाल करती हैं।

आर्थिक सुदृढता हेतु ->

जिस की दम

जानते हैं महिलाओं को शारीरिक श्रम के रूप में माना जाता है परन्तु उष्ण देशों में सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसके कारण परिवार तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है इसलिए आर्थिक रूप से सशक्त महिलायें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का विवरण भली प्रकार करती हैं और राष्ट्रीय इमारतों में भी योगदान देती हैं।

पारिवारिक सुख शांति हेतु ->

जिस परिवार में स्त्री पुख्ता दोनों सम्पत्ति, शिक्षित तथा स्वावलम्बी है। जिससे आपसी सुख-शांति आयेगी। इस प्रकार पारिवारिक सुख शांति के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता अधिक है।

प्रजावांशिक सफ़ाई हेतु ->

इसके लिए भी

महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यावश्यक है। जिस की

que-6

जिसका नाम जानने है प्रजातंत्र में महिला तथा पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है दोनों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और ज़्यादा प्राप्त है। अतः महिला को सशक्त प्रजातांत्रिक स्वयं को साकार किया जा सकता है।

विश्व-शांति तथा सद्भाव हेतु →

इसकी स्थापना में महिलाओं का योगदान अविस्मरणीय रहा है जैसे इस संघर्ष करते हैं की महिलाओं ने अपने कठना, त्याग-भाव और सेवा-भाव से संपूर्ण विश्व शांति और सद्भाव का पाठ के लिए महिलाओं का सशक्त गेना अभी आवश्यक है।

अतः जब महिलाएँ सशक्त होंगी तब देश भी भी उन्नति करेगा जो की पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलेगी क्योंकि जब एक महिला पढ़ती है तब पीढ़ीया पढ़ती है।